

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2641
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रेप का निपटान

2641. श्री काली चरण सिंह:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति को कार्यान्वित किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) विभिन्न केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और अन्य बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में निपटान या पुनर्चक्रण के लिए वर्तमान में उपस्थित इस्पात स्क्रेप का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है, और इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है, मूल्य कितना है और इसके जमा होने के कारण क्या हैं;
- (ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में संयंत्र-वार निपटान किए गए या पुनर्चक्रित किए गए इस्पात स्क्रेप का ब्यौरा क्या है, साथ ही इससे हुई आय कितनी है और क्या निपटान पारदर्शी नीलामी या अन्य स्वीकृत माध्यमों से किया गया है; और
- (घ) सरकार द्वारा जमा हुए स्क्रेप का समय पर निपटान सुनिश्चित करने, स्क्रेप के व्यवस्थित संग्रहण और प्रसंस्करण का संवर्धन करने, इस्पात उत्पादन में पुनर्चक्रित किए गए स्क्रेप का उपयोग बढ़ाने और संसाधनों की क्षमता बेहतर करने, आयातित स्क्रेप पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (घ): देश में इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, जिसमें इस क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण हेतु उठाए गए कदम शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:-

(i) इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रेप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय ढांचा प्रदान करती है।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रेपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन हेतु प्रोत्साहन/निरुत्साहन की प्रणाली शामिल है। इस नीति के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रेपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरण नियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रदूषण मुक्त करने और विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करते हैं। दिनांक 24.07.2026 तक, 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 151 पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) प्रचालन में हैं।

(iii) भारत सरकार ने पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित तरीके से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 लागू किए हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करते हैं और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाते हैं, जिसके तहत वाहन उत्पादकों को वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्री के आधार पर वार्षिक स्क्रेपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

(v) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य पोत के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित करना और बढ़ावा देना है।

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, इसलिए लौह स्क्रेप के पुनर्चक्रण और उपयोग का निर्णय इस्पात संयंत्रों द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकता और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिया जाता है। इस्पात उत्पादन और मिलिंग के दौरान, इस्पात संयंत्रों में लगातार स्क्रेप उत्पन्न होता है, जिसकी लगातार खपत होती रहती है और अधिशेष स्क्रेप का निपटान बाजार की गतिशीलता के अनुसार किया जाता है।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निस्तारित या पुनर्चक्रित और संचित इस्पात स्क्रेप का विवरण निम्नानुसार है:

संयंत्र		पुनर्चक्रित या निस्तारित इस्पात स्क्रेप का विवरण				स्टॉक में उपलब्ध स्क्रेप (टन में)
		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (30.06.26 तक)	
सेल संयंत्र	पुनर्चक्रित स्क्रेप (टन)	15,51,023	14,42,286	15,24,037	3,71,172	1,56,782
	निस्तारित स्क्रेप (टन)	1,72,729	2,40,707	2,82,135	58,439	
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम	पुनर्चक्रित स्क्रेप (टन)	3,66,649	2,34,908	3,66,377	1,08,122	1,81,373
	निस्तारित स्क्रेप (टन)	22,424	71,318	191	3,564	

